



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 22, 2013/ज्येष्ठ 1, 1935

No. 152]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 22, 2013/JYAISTHA 1, 1935

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2013

संख्या 28-14/2012-आयु (यू.जी.रेगु).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 के खण्ड (झ), (ञ) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित और विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) यह विनियम "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2013" कहा जाएगा।

(2) वे कार्यालय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है), अनुसूची I में, -

(i) पैरा 5 हेतु, निम्नलिखित पैरा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"5. शिक्षा का माध्यम : संस्कृत अथवा हिन्दी अथवा कोई मान्य क्षेत्रीय भाषा अथवा अंग्रेजी।";

(ii) 6.2 हेतु, उप-पैरा (ii) में, प्रविष्टि 4 हेतु, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"4. चरक संहिता-पूर्वार्द्ध (एक प्राचीन आयुर्वेदिक मूल, भाग-1)";

(iii) पैरा 6.3 हेतु "तृतीय व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया" से प्रारम्भ हुए भाग तथा "5. बाल रोग (पीडिएट्रिक्स), अंक शब्दों तथा कोष्ठक के साथ समाप्त हुए भाग हेतु, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(ii) तृतीय व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया तृतीय व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई अथवा जून माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जाएगी तथा परीक्षा निम्न विषयों में होगी :-

1. रोग निदान एवं विकृति विज्ञान (डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एण्ड पैथोलॉजी)
2. चरक संहिता-उत्तरार्द्ध (एक प्राचीन आयुर्वेदिक मूल, भाग-II)
3. स्वास्थ्यवृत्त एवं योग (प्रीवैन्टिव एण्ड सोशल मेडीसिन एण्ड योग)
4. प्रसूति एवं स्त्रीरोग (ऑब्स्टेट्रिक्स एवं गायनकोलाजी)

5. बाल रोग (पीडिएट्रिक्स)*

(iv) पैरा 11.1 हेतु, तालिका में, "प्रथम व्यावसायिक" शीर्षक के अन्तर्गत, "पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास" संबंधी उपशीर्षक 1 के अन्तर्गत, "कुल" कॉलम के अन्तर्गत प्रविष्टि हेतु, प्रविष्टि "200" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) पैरा 12 हेतु, "अनुभव" संबंधी उप-पैरा (ii) में, खण्ड (ग) तथा (घ) में, - खण्ड (ग) हेतु (क) में, निम्न खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) सहायक आचार्य (व्याख्याता) के पद हेतु आयु पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं, कोई अध्यापन अनुभव आवश्यक नहीं है तथा व्याख्याता को सहायक आचार्य के रूप में माना जाएगा।"

(ख) खण्ड (घ) में, "टिप्पणी" शब्द तथा चिन्ह से प्रारम्भ तथा "सहायक आचार्य" शब्द तथा चिन्ह से समाप्त भाग हेतु, निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ड.) समवर्गी विषय का प्रावधान: सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हताधारक अभ्यर्थी के अभाव में निम्नलिखित विषयों के अभ्यर्थी जैसा कि उनके नाम के सामने उल्लिखित है, व्याख्याता अथवा सहायक आचार्य, प्रवाचक अथवा सह-आचार्य तथा प्राध्यापक के पद हेतु पात्र होंगे:-"

(ग) खण्ड (घ) में, तालिका के पश्चात्, मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् :-

"ग. नियमित पी.एच.डी. धारक का शोध कार्य अनुभव एक वर्ष के शिक्षण अनुभव के समतुल्य माना जायेगा।"

के. नटराजन, निबन्धक-सह-सचिव

[विज्ञापन III/4/असा/124/13]

पाद टिप्पणी:-भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 अधिसूचना संख्या 8-3 रेग, दिनांक 15 मई, 1986 के द्वारा अधिसूचित हुए तथा अधिसूचना संख्या 28-14/2011-आयु (यू.जी.रेगु). दिनांक 25 अप्रैल, 2012 के द्वारा अंतिम संशोधन हुआ।

*अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) संशोधन विनियम, 2013 को अन्तिम माना जायेगा।

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2013

No. 28-14/2012-Ay (UG Regu).— In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, namely :—

1. (1) These regulations may be called the "Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 2013".

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986 (hereafter referred to as the "said regulations"), in schedule I,—

(i) for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"5. MEDIUM OF INSTRUCTION: Sanskrit or Hindi or any recognized regional language or English.";

(ii) for paragraph 6.2, in sub-paragraph (II), for entry 4, the following entry shall be substituted, namely:—

"4. Charak Samhita-Purvardh (an ancient Ayurvedic text, Part -I)";

(iii) for paragraph 6.3, for the portion beginning with the words "The Third Professional examination shall be ordinarily held and completed" and ending with the figure, words and brackets "5. Bal Roga (Paediatrics)", the following shall be substituted, namely:—

"(ii) The Third Professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of the month of May or June, every year after the completion of one year of third professional session and the examination shall be held in the following subjects :—

1. Roga Nidan Evam Vikriti Vigyan (Diagnostic Procedure and Pathology)

2. Charak Samhita-Uttarardh (an ancient Ayurvedic text, Part-II)
3. Swastha Vritta and Yoga (Preventive and Social Medicine and Yoga)
4. Prasuti and Striroga (Obstetrics & Gynaecology)
5. Bal Roga (Paediatrics);

(iv) for paragraph 11.1, in the table, under the heading "1st Professional", under the sub-heading 1 relating to "Padarth Vigyan evam Ayurveda Ka Itihas", for the entry under column "Total", the entry "200" shall be substituted;

(v) for paragraph 12, in sub-paragraph (ii) relating to "Experience", in clause (d), —

(A) for clause (c); following clause shall be substituted, namely:—

"(c) For the post of Assistant Professor (Lecturer) with the age not exceeding forty-five years, no teaching experience is required and Lecturer will be treated as Assistant Professor."

(B) in clause (d), for the portion beginning with the word and symbol "Note:—" and ending with the words and symbol "Astt. Professor:—", the following shall be substituted, namely:—

"(e) Provision of allied subject: In absence of the candidate of Post-graduate qualification in subject concern, the candidate of the following subjects as mentioned against them shall be eligible for the post of Lecturer or Assistant Professor, Reader or Associate Professor and Professor:—"

(C) in clause (d), after the table, after item (b), the following shall be inserted, namely:—

"c. The research experience of regular Ph.D. holder shall be considered equivalent to one year of teaching experience."

K. NATARAJAN, Registrar-cum-Secy.

[ADVT-III/4/Exty/124/13]

Foot Note.—The Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986 were notified *vide* notification No. 8-3-Regl, dated the 15th May, 1986 and last amendment *vide* notification No. 28-14/2011-Ay (UG Regu), dated the 25th April, 2012.

*If any discrepancy is found between Hindi and English version of the "Indian Medicine Central Council (Post-graduate Diploma Course) Amendment Regulations, 2013" the English version will be treated as final.